



UPRN010035922026

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-
देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1403/2026

पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 19 वर्ष निवासी रोशनमऊ, थाना रुरा, जनपद कानपुर
देहात।

--प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार।

--अभियोजन पक्ष।

अ 0 सं०- 238/2026

धारा- 309(6),317(2) बी०एन०एस०

व धारा-3/25 आर्म्स एक्ट

थाना- अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात।

दिनांक-25.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा मुकदमा अपराध सं०- 238/2026 अंतर्गत धारा-309(6),317(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा साजिद अली पुत्र खालिक अली द्वारा संबंधित थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात में इस आशय की लिखित तहरीर दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी के गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है जिसमें प्रार्थी का भाई शाकिर अली पुत्र खालिक अली चौकीदार का काम करता है। दिनांक 30.05.2026 को रात्रि लगभग 12.30 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पम्प हाउस से इन्वर्टर व बैटरी चोरी कर के इको गाड़ी द्वारा ले जा रहे थे तभी उसका भाई जाग गया, चोरी करने का विरोध किया तो उपरोक्त लोगों द्वारा प्रार्थी के भाई के साथ मारपीट की गयी और सामान अपने साथ ले गये। घायल अवस्था में उसके भाई द्वारा सूचना लगभग रात्रि 12.50 में दी गयी। वह परिवार सहित घटनास्थल पर पहुंचकर 112 पुलिस को सूचना दी गयी। एम्बुलेन्स द्वारा भाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3. उक्त तहरीर रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों नाम पता अज्ञात के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 238/2026, धारा 303(2),115(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में धारा-303(2), 115(2) का अपराध न होने पर विवेचक द्वारा धाराओं का लोप किया गया है और संकलित साक्ष्यों एवं फर्द बरामदगी के आधार पर धारा-309(6), 317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी। विवेचक द्वारा उपरोक्त मामले में अभी तक आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

4. जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा

तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, थाना हाजा की पुलिस द्वारा वादी से मिलकर उसको गलत तरीके से झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कभी भी वादी मुकदमा द्वारा बताये गये स्थाने पर किसी भी प्रकार की चोरी व मारपीट नहीं की है और न ही उनके पास से चोरी का कोई भी सामान ही बरामद हुआ है, वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया जाना अंकित कराया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से दर्शायी गयी बरामदगी का कोई भी चश्मदीद स्वतंत्र साक्षी नहीं है और न ही उसकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ही ली गयी है, थाना हाजा की पुलिस द्वारा अभियुक्त को घर से उठाकर झूठी बरामदगी दर्शाकर मुकदमें में फर्जी फंसा दिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही भी यह नहीं दर्शाया गया है, कि किस अभियुक्त द्वारा किस-किस सामान की चोरी की गयी है, फिर भी थाना हाजा की पुलिस द्वारा गलत तरीके से अभियुक्त के पास से चोरी का सामान संयुक्त रूप से बरामद होना दर्शाया गया है, जबकि कथित बरामदगी का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्तगण का किसी भी तरह का हुलिया नहीं बताया गया है, और न ही थाना हाजा की पुलिस द्वारा वादी मुकदमा के भाई द्वारा अभियुक्तगण को पहचाना जाना अंकित किया गया है, जिसके कारण सम्पूर्ण कहानी फर्जी प्रतीत होती है। वादी मुकदमा द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है, प्रार्थी/अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त द्वारा लिया गया है, जबकि उसके नाम पर न तो कोई ईको गाड़ी है, और न ही उसके कब्जे कोई भी इन्वर्टर या बैटरी ही बरामद हुई है, पुलिस द्वारा गलत तरीके से प्रार्थी/अभियुक्त के पास से तमन्चा व कारतूस की बरामदगी दर्शायी गयी है, जबकि कथित बरामदगी का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। घटना का कोई भी साक्षी नहीं है और न ही वादी मुकदमा ने भी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं घटना देखने व अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घटना देखे जाने की बात अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करायी गयी है, जिसके कारण सम्पूर्ण कहानी फर्जी एवं बनावटी प्रतीत होती है। अभियुक्त के पास से गलत बरामदगी दर्शायी गयी है, जबकि चोरी के सामान की कोई विशेष पहचान वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं करायी गयी है, अभियुक्त के पास से वादी की विशेष पहचान वाली कोई वस्तु अभियुक्त के पास से बरामद नहीं हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अन्य कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04.06.2026 से जिला कारागार माती में निरुद्ध है। इन्हीं आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया गया कि दिनांक 30.05.2026 की रात्रि लगभग 12.30 प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारपीट कर पम्प हाउस से इन्वर्टर व बैटरी लूट ली गयीं है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह भी कथन किया गया है कि दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये। प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के कब्जे पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित लूट का माल बरामद हुआ है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है और जनपद कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 प्रभावी हैं और उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 में जमानत के सम्बंध में धारा 10 में विशेष उपबन्ध किये गये हैं और धारा 10 बी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का कोई आधार नहीं है। विद्वान सहायक

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपराध की प्रकृति व प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका को देखते हुए, यह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी नहीं है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार पर आरोप है कि दिनांक 30.05.2026 की रात्रि लगभग 12.30 प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारपीट कर पम्प हाउस से इन्वर्टर व बैटरी लूट ली गयीं। दिनांक 03.06.2026 को पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना एवं बताये हुए स्थान पर दो ईको कारें रोकी गयी, जिसमें से एक ईको कार सं०-UP77AQ6209 जिसमें तीन अन्य सह अभियुक्त बैठे थे, से आठ अदद इन्वर्टर बैटरियाँ तथा चार अदद इन्वर्टर बरामद किये गये। जबकि एक अन्य ईको कार सं०-UP77AV4389 जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त व एक अन्य सह अभियुक्त बैठा था, से दस अदद इन्वर्टर बैटरियाँ तथा पाँच अदद इन्वर्टर बरामद किये गये तथा प्रार्थी/अभियुक्त की जामा तलाशी में उसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, दाहिनी जेब से दो अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानानुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस वाद के अतिरिक्त एक अन्य मामला अ०सं०-99/2026 धारा-303(2),317(2) बी.एन.एस., थाना डेरापुर, कानपुर देहात में दर्ज है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के कब्जे से कथित लूट का माल बरामद हुआ। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने लूट जैसा जघन्य अपराध कारित किया तथा उसके कब्जे से लूट का माल व एक अदद नाजायज तमंचा व दो अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में उत्तर प्रदेश दस्यु प्रभावी अधिनियम 1983 प्रभावी है। धारा 10-B डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को तभी जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जब उसके विरुद्ध यह साक्ष्य हो कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जाये कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है।

8. अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त की मामले में भूमिका को देखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

9. प्रार्थी/अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा मुकदमा अपराध सं०-238/2026 अंतर्गत धारा-309(6),317(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)

दिनांक-25.06.2026

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर-देहात।